



## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक

विक्रम संवत्

3(शु0) मार्गशीर्ष 1937 (शा0)

31/2015

2072

जमशेदपुर, सोमवार, 14/12/2015

विषय भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का प्रारंभिक अधिसूचना।

विषय सुची

पृष्ठ संख्या

भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित प्रारंभिक अधिसूचना।

01-02

## प्रपत्र-VIक'

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय, पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर

(भू-अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समूचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 744

दिनांक-27.11.2015

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-लक्ष्मणनगर, वार्ड नं0-10, मानगो, अधिसूचित क्षेत्र चादर नं0-11, थाना-घाटशिला, अंचल गोलमुरी सह-जुगसलाई जिला-पूर्वी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा-लक्ष्मणनगर में बाढ़ सुरक्षात्मक निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त, पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-लक्ष्मणनगर, वार्ड नं0-10, मानगो, अधिसूचित क्षेत्र चादर नं0-11, थाना-घाटशिला अंचल गोलमुरी सह-जुगसलाई जिला-पूर्वी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कर्मादेश-0.72 एकड़ यानि-0.291 हेक्टर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -----

कं0	खाता संख्या	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़) में।	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा खण्ड			
							उत्तर	दक्षिण	पूरव	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	569	4017	कायमी	गोड़ा तीन	0.72	वासुदेव गौड़, संतोष गौड़, पिता-मुकन्द गौड़, जशोदा देवी पति-स्व0-अशोक गौड़ गणेश गौड़ कार्तिक गौड़, श्यामल गौड़ पिता-काबुल गौड़ नि0-गौड़बस्ती मानगो।	4016, 4018	सुवर्णरेखा नदी	4029 अंश	3980
	कुल				0.72 एकड़					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधो सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

(2)

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1 मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1 मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधिन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1 मानगो, जमशेदपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/-

वि० भू० अ० पदा० सं०-1  
मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त  
पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर।